


::अधिसूचना::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्वारा, तुरन्त प्रभाव से कोलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन वार्दा को शीघ्र निपटाने हेतु कोलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है, तथा इसकी बैठक का स्थान कोलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है:-

क्र.सं.	जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर	अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, रायसिंहनगर	रायसिंहनगर
2	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला	अपर जिला न्यायाधीश, फागी	फागी
3	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू	अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, खेतड़ी	खेतड़ी

नोट-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,


(जान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/11/2023/...969

Date: 27/06/2023

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench (Registrar CPC with a request to upload the same on high court website)
2. The concerned District & Sessions Judge.
3. The concerned court
4. The concerned Chief Judicial Magistrate
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt. & Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell Rajasthan High Court, Jodhpur.


REGISTRAR (RULES)